

**न्याय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला बारां (राज.)**

प्रार्थना पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
28/021	136 L.R Act	निजाफ रेवडी	दुबडा
वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी	
हल्कू	बनाम	राज0 सरकार	

वकील :- सोनू भागीरथि एड.वो - **आदेश पत्रक** - वकील :-

**दिनांक** **कार्यवाही एवं आदेश** **विविध संदर्भ**

21<sup>9</sup>/<sub>21</sub>

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट विरुद्ध अप्रार्थीगण के न्यायालय में पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थीगण गण को जयें सम्मन तलव किया जाकर पत्रावली दिनांक 27.10.2021 को पेश हो।

[Signature]  
21/9/21

**प्रशासन गाँवों के संग अभियान-2021**

22<sup>11</sup>/<sub>21</sub>

पत्रावली प्रशासन गाँव के संग अभियान 2021 शिबिर नीतर खेड़ी पर आज पेश हुई। प्रार्थी द्वारा प्रकरण भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत न्यायालय में इस अधिनियम का पेश किया गया कि ग्राम निजाफ रेवडी के खता संख्या 44 में प्रार्थी का नाम हल्कू के स्थान पर दोर्या दर्ज कर दिया है जो गलत है। अतः दोर्या के स्थान पर हल्कू दर्ज करने की कृपा करें। जिसकी रिपोर्ट तहसीलदार दुबडा से ली गई।


तहसीलदार दुबडा ने अपनी रिपोर्ट में

कताभी कि राजस्व रिपोर्ट ग्राम वदनवास पर मू. भू-राजस्व की जमावंदी सन् 2077-2080 के खता संख्या 97 में हल्कू पुत्र दोर्या, भरोख पुत्र बुध्दा जति - चण्णर सी. भोजन के नाम दर्ज खता है जबकि प्रार्थी अपना खता का नाम हल्कू पुत्र बुध्दा करवाना चाहता है। इस प्रकार एक व्यक्ति के दो नाम खता सम्भव नहीं है क्योंकि ग्राम निजाफ खेड़ी की जमावंदी सम्बत 2075-2078 के खता संख्या 44 में

दोस्तों नाम दर्ज है। ग्राम बदनवास की जमावदी 2077-80 के खाता संख्या 97 में इल्क उर्फ दोस्तों पुत्र बुद्धा दर्ज है जबकि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में इल्क पुत्र बुद्धा दर्ज है।

भुक्तिक ग्रामपंचायत कोर्टापर के लेटर पत्र दिनांक 16/8/21 तथा जमावदी सं 2077-80 ग्राम बदनवास को खाता संख्या 97 तथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थी का सही नाम इल्क उर्फ दोस्तों पुत्र बुद्धा जाति—वमार शुद्ध किया जाना उचित होगा।

भुक्तिक तहसीलदार इकाई की अनुरोध के आधार पर ग्राम निजामखेड़ा की आरजी खाता सं. 44 में प्रार्थी का नाम इल्क उर्फ दोस्तों पुत्र बुद्धा दर्ज किया जाने के निर्देश तहसीलदार इकाई को दिये जाते हैं। आदेश प्रथम से जारी है। तहसीलदार पालनी सुनिश्चित करें। प्रत्येकी फंशाल शुमार होकर दारिजल दफ्तर हो।

  
उपखण्ड अधिकारी  
छबड़ा, जिला बारा (राज.)

प्रार्थी के "खाता-  
की रिपोर्ट ल-

# “प्रशासन गाँव के संग अभियान-2021”

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा जिला बारां (राज०)

## -: आदेश :-

प्रार्थी के “खाता दुरुस्ती” प्रार्थना पत्र एवं पटवारी तीतरखेडी व भू.अ.नि. षापचा की रिपोर्ट तथा तहसीलदार ब्रह्म तहसीलदार ब्रह्म की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम निजामखेडी तहसील बारां जिला बारां की जमाबन्दी सम्वत् 2075-78 में खाता संख्या 97 44 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1	निजामखेडी	44	दोरपा पुत्र बुद्धा	दल्कू उर्फ दोरपा पुत्र बुद्धा



(मनीषा तिवारी)  
पीठासीन अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी  
छबड़ा, जिला बारां (राज०)

क्रमांक/रीडर/लोक अदालत/2021/(कैम्प तीतरखेडी)

दिनांक 22.11.2021

प्रतिलिपी :-

1. तहसीलदार द्वारा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री दल्कू पुत्र दोरपा पुत्र बुद्धा निवासी मोरपूर को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

पीठासीन अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी  
छबड़ा, जिला बारां (राज०)